

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम(म0प्र0)

-::आदेश::-

क्रमांक 370/दो-11-8/2022

नर्मदापुरम, दिनांक 07.04.2026

श्री विवेक ठक्कर, साक्ष्य लेखक, न्यायालय प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम के अतिरिक्त न्यायाधीश, सिवनी मालवा का पीठासीन अधिकारी की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 24.01.2026 से 27.02.2026 तक कुल 35 दिवस का लघुकृत अवकाश, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

उक्त लघुकृत अवकाश, आवेदक के अर्द्धवैतनिक अवकाश लेखे में से दो गुनी संख्या में विकलनीय होगा।

अवकाश स्वीकृति पश्चात् आवेदक के अर्द्धवैतनिक अवकाश लेखे में कुल 10 दिवस का स्वत्व शेष है।

1- उपरोक्त अवकाश अवधि में धारित पद रिक्त रहा।

2- अवकाश अवधि मूलभूत नियम 26 (बी) (दो) के तहत प्रमाणित की जाती है।

Sd/-
जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम, (म.प्र.)

पृ0क0 1495/दो-11-8/2022

नर्मदापुरम, दिनांक 07.04.2026

यथाआदेश प्रतिलिपि:-

01. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, सिवनी मालवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
02. प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम के अतिरिक्त न्यायाधीश, सिवनी मालवा की ओर श्री विवेक ठक्कर, साक्ष्य लेखक, को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित है।
03. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

7/4/26
जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम, (म.प्र.)